

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I - Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ६५] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च ३०, १९७२/चैत्र १०, १८९४

No. 65] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 30, 1972/CHAITRA 10, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 29th March 1972

No. F. 2(24)-NS/71.—The President hereby makes the following rules further to amend the Post Office (Recurring Deposits) Rules, 1970, published with the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No. F. 3(8)-NS/70, dated the 28th February, 1970, namely:—

1 (1) These rules may be called the Post Office (Recurring Deposits) Amendment Rules, 1972

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 1972

2 In rule 6 of the Post Office (Recurring Deposits) Rules, 1970, (hereinafter referred to as the said rules), in clause (a) of sub-rule (2), for sub-clauses (i) and (ii), the following shall be substituted, namely:—

“ 3 Pence for every Rs 5 of the instalment for each month of default.”

3. In rule 12 of the said rules,

(a) in clauses (a) and (b) of sub-rule (3), for the words "six and one half", the figures "7.2" shall be substituted;

(b) the following shall be added as Note below sub-rule (3), namely:—

NOTE.—The interest on withdrawals made before the 1st April, 1972, shall be recovered at the rate of six and one half per cent per annum."

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1972

सं० फा० 2(24)/एन एस/71.—राष्ट्रपति, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की तारीख 28 फरवरी, 1970 की अधिसूचना संख्या फा० 3(8)—एन एस/70 के साथ प्रकाशित, डाकघर (आवर्ती निक्षेप) नियम, 1970 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम डाकघर (आवर्ती निक्षेप) संशोधन नियम, 1972 होगा।

(2) ये नियम अप्रैल, 1972 के प्रथम दिन को प्रवृत्त होंगे।

2. डाकघर (आवर्ती निक्षेप) नियम, 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों कहा गया है) के नियम 6 में, उपनियम (2) के खण्ड (क) में, उपखण्ड (i) और (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"व्यतिक्रम के हर एक मास के लिए किस्त के प्रत्येक पांच रुपए पर तीन पैसे।"

3. उक्त नियमों के नियम 12 में,

(क) उपनियम (3) के खण्ड (क) और (ख) में, "साढ़े छह" शब्दों के स्थान पर, "7.2" शंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपनियम (3) के नीचे निम्नलिखित टिप्पण जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"टिप्पण:—1 अप्रैल, 1972 से पहले निकाली गई रकम पर व्याज साढ़े छह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वसूल किया जाएगा।"

No. F. 2(24)-NS/71(1).—The President hereby makes the following rules further to amend the Post Office Savings Bank (Cumulative Time Deposits) Rules, 1959, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), No. F. 3(40)-NS/58, dated the 19th December, 1958, namely:—

1. (1) These rules may be called the Post Office Savings Bank (Cumulative Time Deposits) Second Amendment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 1972.

2. In rule 6 of the Post Office Savings Bank (Cumulative Time Deposits) Rules, 1959, (hereinafter referred to as the said rules), in sub-rule (2), for sub-clauses (i) and (ii), the following shall be substituted, namely:—

"3 Paise for every Rs. 5 of the instalment for each month of default."

3 In rule 11, of the said rules,

(a) in clauses (i) and (ii) of sub-rule (c), for the figures and words "6 per cent" the figures and words "7 2 per cent" shall be substituted,

(b) the following shall be added as Note below sub-rule (c), namely —

"NOTE.—The interest on withdrawals made before the 1st April, 1972, shall be recovered at the rate of 6 per cent per annum"

B MAITHREYAN Jt Secy

सं० फा० 2 (24)—एन एस/71(i)—राष्ट्रपति, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की तारीख 19 दिसम्बर, 1958 की अधिसूचना सं० फा० 3(40)—एन एस/58 के साथ प्रकाशित, डाकघर बचत बैंक (सचयी सावधि निक्षेप) नियम, 1959 में और सशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

1 (1) इन नियमों का नाम डाकघर बचत बैंक (सचयी सावधि निक्षेप) द्वितीय सशोधन नियम, 1972 होगा।

(2) ये नियम अप्रैल, 1972 के प्रथम दिन को प्रवृत्त होंगे।

2. डाकघर बचत बैंक (सचयी सावधि निक्षेप) नियम, 1959 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों कहा गया है) के नियम 6 में, उपनियम, (2) में, उपखण्ड (i) और (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

"व्यतिक्रम के हर एक मास के लिए किस्त के प्रत्येक पाच रूपए पर तीन पैसे।"

3. उक्त नियमों के नियम 11 में,

(क) उपनियम (ग) के खण्ड (i) और (ii) में, "6 प्रतिशत" श्रंको और शब्दों के स्थान पर, "7.2 प्रतिशत" श्रंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे,

(ख) उपनियम (ग) के नीचे निम्नलिखित टिप्पण जोड़ा जाएगा, अर्थात् —

"टिप्पण :— 1 अप्रैल, 1972 से पहले निकाली गई रकम पर ब्याज 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वसूल किया जाएगा।"

बी० मैथ्रेयन, सयुक्त सचिव।

